प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 11 अगस्त, 2008

विषय: मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के वार्षिक रख-रखाव हेतु विविध सामग्री के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2026/UHC/Admn.b/Const./2008,दिनांक 9.6.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के वार्षिक रख-रखाव हेतु विविध सामग्री के क्रय हेतु प्रेषित रु० 9,35,000/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 9,20,000/-(नौ लाख बीस हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए उच्च न्यायालय के उपशीर्षक के अन्तर्गत अनुरक्षण मद में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है । स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(3) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(4) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(5) कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करले कि अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।

(6) आगणन में ली गयी मदों की आपूर्ति वृहद प्रचार-प्रसार के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर की जाय ।

(7) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

(8) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रुल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

(10) यह स्वीकृति बजट प्राविधान के सापेक्ष ही है । बजट प्राविधान से अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 की आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-29-अनुरक्षण" के नामें डाला जायेगा ।

4- उपरोक्त कार्य हेतु अनुरक्षण मद में यदि पूर्ण धनराशि उपलब्ध न हो तो अनुरक्षण मद में धनराशि की व्यवस्था किये जाने हेतु अन्य मदों से अनुरक्षण मद में धनराशि पुनर्विनियोग किये जाने का प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

5- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-251एन.पी./XXVII(5)/2008, दिनांक 8.8.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-24-दो(8)/XXXVI(2)/2008-1-दो(2)/2008-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
5- एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

11080806